From,

Achal Narain Saklani, HJS,
Registrar (J)(Infra-Sub.Courts),
High Court of Judicature at
Allahabad.

To,

All the District Judges/OSD,
Subordinate to High Court of Judicature at
Allahabad

No.: 518 **/InfraCell : Allahabad** **Date :** 01-07, 2021

Sub.: **Regarding provision of residential facilities for the employees of subordinate Courts as per recommendation of Shetty Commission.**

Sir,

On the captioned subject and with reference to representation No.: **05/2021** dated **03.04.2021** (*copy enclosed*) of the State General Secretary, The Civil Court Employees Union (Uttar Pradesh), I am directed to request you to kindly obtain report from the District Magistrate of your Judgeship on the following proforma :

Name of the District/ Judgeship	*Total No. of pooled houses/quarters for Class III employees, available with the District Administration*	*Total No. of pooled houses/quarters allotted to Class III employees of the District Court.*	*% of pooled houses/quarters allotted to Class III employees of the District Court.*	*Total No. of pooled houses/quarters for Class IV employees, available with the District Administration*	*Total No. of pooled houses/quarters allotted to Class IV employees of the District Court.*	*% of pooled houses/quarters allotted to Class IV employees of the District Court.*

I am further to request you that if aforementioned report satisfies you that pooled houses/quarters allotted to employees of the District Court are less than 15% of total available houses, then the District Magistrate be moved to ensure that minimum 15% of pooled houses be kept at the disposal of the District Judge for allotment to the employees of District Court.

Yours faithfully,

01/07/2021

Registrar
(J)(Infra-Sub.Courts)

No.: **/InfraCell : Allahabad** **Date :** , 2021

Copy forwarded to **the Principal Secretary (Law) & LR,** Government of UP, Lucknow with a request to expeditiously accord its administrative approval on the pending projects of construction of employees residence in various Judgeships in line with recommendation of Shetty Commission.

Registrar
(J)(Infra-Sub.Courts)

सत्यमेव जयते

दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश

अध्यक्षीय कार्यालय जनपद न्यायालय बदायूँ
कैम्प कार्यालय, जनपद न्यायालय श्रावस्ती

(राजाज्ञा स 1083/7–137, 17/27–1928 तथा संख्या 99 /7139 दिनॉक 22 जनवरी 1931 द्वारा मान्यता प्राप्त)

डॉ नृपेन्द्र सिंह
प्रान्तीय अध्यक्ष
अध्यक्षीय कार्यालय बदायूँ
9412462719 / 9259049509

नरेन्द्र विक्रम सिंह
प्रान्तीय महासचिव
महासचिव कार्यालय श्रावस्ती
9415572022 / 7398372302

वरिष्ठ उपाध्यक्ष

अभिषेक सिंह, इलाहाबाद

उपाध्यक्ष

हरि शंकर श्रीवास्तव, लखीमपुर

सैय्यद मोहम्मद ताहा, बाराबंकी

विवेक दत्त उपाध्याय, फर्रुखाबाद

उपाध्यक्ष मनोनीत

अमरेश चन्द दुबे, मिर्जापुर

जय शंकर त्रिवेदी, बाराबंकी

संजीव विश्वकर्मा, गौतमबुद्ध नगर

संयुक्त सचिव

अनिल कुमार श्रीवास्तव, अम्बेडकर नगर

प्रिय रंजन किशोर, बागपत

प्रेम नारायण, सीतापुर

संदीप कुमार यादव, सहारनपुर

संगठन सचिव

देवराज सिंह, अलीगढ़

अवधेश खरे, ललितपुर

सुधीर कुमार श्रीवास्तव, श्रावस्ती

सुधीर कुमार विश्नोई,बिजनौर

कोषाध्यक्ष

नीरज श्रीवास्तव, लखनऊ

सांस्कृतिक सचिव

रतन कुमार श्रीवास्तव, इलाहाबाद

पत्रांक 05 /2021 दिनांक 03.04.2021

सेवा में,

श्रीमान् महानिबन्धक महोदय

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

विषय– माननीय शेट्टी आयोग की शमस्तुतियों के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारीगण को आवासीय व अन्य सुविधाओं के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में माननीय न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारीगण के हितार्थ निम्नलिखित अनुरोध है–

प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्टी आयोग) की संस्तुतियों में अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारीगण की आवासीय सुविधाओं के संबंध में पृष्ठ संख्या 212 पर की गयी संस्तुतियाँ निम्नलिखित हैं–

1–Bearing in the mind the constrains of the state government , we recommend that in places where there are no quarters earmarked exclusively for court staff not less than 15% of the government quarters in the general pool may be set apart for court employees.

2– the quarters so earmarked shall be placed at the disposal of the Principal District Judge or the senior most Judicial officer at the place for making allotment to the employees.

3– As in the case of Judicial Officer the construction of adequate number of quarter/houses with necessary facilities should be given the top priority, being the primary requirement of employees.

4– necessary suitable site near about the court premises may be acquired for construction of quarters to the non–judicial employees and construction thereon be taken up on priority basis.

सत्यमेव जयते

दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश

अध्यक्षीय कार्यालय जनपद न्यायालय बदायूँ
कैम्प कार्यालय, जनपद न्यायालय श्रावस्ती

(राजाज्ञा सं 1083/7–137, 17/27–1928 तथा संख्या 99 /7139 दिनाँक 22 जनवरी 1931 द्वारा मान्यता प्राप्त)

डॉ नृपेन्द्र सिंह
प्रान्तीय अध्यक्ष
अध्यक्षीय कार्यालय बदायूँ
9412462719 / 9259049509

नरेन्द्र विकम सिंह
प्रान्तीय महासचिव
महासचिव कार्यालय श्रावस्ती
9415572022 / 7398372302

वरिष्ठ उपाध्यक्ष
अभिषेक सिंह, इलाहाबाद
उपाध्यक्ष
हरि शंकर श्रीवास्तव, लखीमपुर
सैय्यद मोहम्मद ताहा, बाराबंकी
विवेक दत्त उपाध्याय, फर्रुखाबाद
उपाध्यक्ष मनोनीत
अमरेश चन्द दुबे, मिर्जापुर
जय शंकर त्रिवेदी, बाराबंकी
संजीव विश्वकर्मा, गौतमबुद्ध नगर
संयुक्त सचिव
अनिल कुमार श्रीवास्तव, अम्बेडकर नगर
प्रिय रंजन किशोर, बागपत
प्रेम नारायण, सीतापुर
संदीप कुमार यादव, सहारनपुर
संगठन सचिव
देवराज सिंह, अलीगढ़
अवधेश खरे, ललितपुर
सुधीर कुमार श्रीवास्तव, श्रावस्ती
सुधीर कुमार विश्नोई, बिजनौर
कोषाध्यक्ष
नीरज श्रीवास्तव, लखनऊ
सांस्कृतिक सचिव
रतन कुमार श्रीवास्तव, इलाहाबाद

माननीय शेट्टी आयोग की उपरोक्त संस्तुतियों के आलोक में संघ निम्न निवेदन करता है–

1– जिन जनपदों में अधीनस्थ न्यायालयों के कार्मिकों के आवास निर्मित नहीं है, उन जनपदों में कर्मचारीगणों के लिये निर्मित राजकीय आवासों की संख्या का न्यूनतम 15% अधीनस्थ न्यायालयों के कार्मिकों हेतु आरक्षित करते हुये आवंटन आदि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदयों के अधिकार क्षेत्र में दिये जाने हेतु कृपापूर्ण आदेश पारित किये जाने हेतु इस मांगपत्र को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

2– अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारीगण के आवास निर्माण हेतु जनपद न्यायालयों के समीप भूमि का अधिग्रहण किये जाने एवं आवास निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किये जाने हेतु आदेश पारित किये जाने हेतु इस मांगपत्र को माननीय न्यायालय के समक्ष कृपापूर्ण आदेशार्थ प्रस्तुत करने की कृपा करें।

संघ आपका आभारी रहेगा.....

सादर।

आपका

(नरेन्द्र विक्रम सिंह) 3.4.21

प्रान्तीय महासचिव

दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उ०प्र०